प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या	– 03/2019 आर.टी.आई.
दायर दिनांक	– 21.10.2019
निर्णय दिनांक	– 30.10.2019

श्री ओ.पी.टेलर	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :–

श्री ओ.पी.टेलर, निवासी बानसेन, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 30.07.2019 (दिनांक 15.10.2019 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 6128–29 दिनांक 22.10.2019 से श्री ओ.पी.टेलर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति–उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 24.10.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री ओ.पी.टेलर का आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2019 कार्यालय के अभिलेख अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 6677 दिनांक 24.10.2019 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 30.06.

2019 मय पोस्टल आर्डर कार्यालय के अभिलेख अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। वांछित सूचना की जानकारी के अभाव में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीताराम भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

6705-6706
30-10-19

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01— लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02— श्री ओ.पी. टेलर, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर